



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
संभागीय कार्यालय REGIONAL OFFICE
केन्द्रीय विद्यालय न.1, ए.एफ.एस.कैम्पस, सेक्टर-14
KV No.1, AFSCampus, Sector-14
गुरुग्राम, हरियाणा / Gurugram (Haryana)-122001

Phone: 0124-2307399(DC), 2307499, 2307599, 2307699

E-mail: dcrogurgaon@kvsedu.org, admnkvsrogurgaon@gmail.com

एफ.32050/वरिष्ठ-वेतनमान/प्रशा./2017-18/के.वि.सं.(गुडगाँव)/3511-3608

दिनांक: -सितम्बर-2017

तत्काल डाक/ई-मेल/वेबसाइट

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

विभागीय पदोन्नति समिति की क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम में दिनांक 21.08.2017 को आयोजित बैठक में की गई संस्तुति के आधार पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित विभिन्न कोटि के शैक्षिक कर्मचारियों को, जिनके विवरण उनके नाम के सामने दिए गए हैं, एतद्वारा वरिष्ठ वेतनमान उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तिथि से स्वीकृत किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के वेतनमान नीचे दिए जा रहे हैं :-

1	PGT Entry Scale 9300 - 34800 GP 4800 (PB-2)
	PGT Senior Scale 9300 - 34800 GP 5400 (PB-2)
2	TGT Entry Scale 9300 - 34800 GP 4600- (PB-2)
	TGT Senior Scale 9300 - 34800 GP 4800 (PB-2)
3	PRT Entry Scale 9300 - 34800 GP 4200 (PB-2)
	PRT Senior Scale 9300 - 34800 GP 4600 (PB-2)

क्र. सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	केन्द्रीय विद्यालय जहाँ कार्यरत हैं	वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि	वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति की तिथि
1	2	3	4	5	6

POST GRADUATE TEACHERS

1	MS. SARITA YADAV	PGT (Chem)	Raghunathpura	23.02.2005	23.02.2017
2	MR. MANJEET SINGH	PGT (Bio)	No.2, Sirsa	22.02.2005	22.02.2017
3	MRS. CHARANJEET SETHI	PGT (Hindi)	Hjssar Cantt.	22.02.2005 (A/N)	23.02.2017

TRAINED GRADUATE TEACHERS


1	MRS. MRIDULA NARULA	TGT (Eng)	GURGAON SOHNA ROAD	22.02.2005	22.02.2017
---	---------------------	-----------	--------------------	------------	------------

PRIMARY TEACHERS.

1	MS. NEELAM	PRT	BHAKLI	14.11.2003	14.11.2015
2	MRS. PINTOO DHILLON	PRT	HISSAR CANTT	21.02.2005	21.02.2017
3	SMT. SUMAN ROHILLA	PRT	MANESAR NSG	21.02.2005	21.02.2017
4	SMT. SAPNA SAINI	PRT	NAHARA	09.02.2005	09.02.2017

(कुल 8 प्रकरण)

सम्बंधित कर्मचारी इस कार्यालय आदेश की प्राप्ति तिथि से एक माह के भीतर अपना विकल्प (Option) दे सकते हैं। इस संबंध में एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। उक्त अवधि के अंतर्गत विकल्प नहीं देने की स्थिति में कर्मचारी का वेतन वरिष्ठ वेतनमान की देय तिथि से ही निर्धारित किया जाएगा।


08/09
(एस. एस. रावत)
उपायुक्त

वितरण:

1. सम्बंधित कर्मचारी।
2. उपायुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ।
5. प्राचार्य, सम्बंधित केन्द्रीय विद्यालय को इस कार्यालय आदेश की दो प्रतियाँ (एक प्रति सम्बंधित कर्मचारी को देकर रसीद प्राप्त करके उसकी व्यक्तिगत पंजिका में रखें) इस उद्देश्य के साथ प्रेषित कि वे सम्बंधित कर्मचारी जिसको इस आदेश के द्वारा वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया है, उनसे सम्बंधित विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड से इस तथ्य को पुनः सत्यापित करें कि सम्बंधित कर्मचारी नियमानुसार पात्र है, यदि नहीं, तो उस कर्मचारी का पूर्ण विवरण इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु भेजें। सम्बंधित कर्मचारी से इस आशय का एक वचनबद्धता पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत करने में कभी भी किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा उक्त आदेश को वापिस ले लिया जाएगा। सम्बंधित प्राचार्यों द्वारा प्रेषित जानकारी के आधार पर शिक्षकों को वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृत किया गया है, अतः वेतन निर्धारण के लिए सेवा पुस्तिका भेजने से पूर्व प्रेषित जानकारी एवं वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति के आदेश में वर्णित समस्त तथ्यों का मिलान कर लें। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो तुरंत इस कार्यालय को सूचित करें।
6. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
7. इस संभागाधीन शेष केन्द्रीय विद्यालयों के समस्त प्राचार्यों को सूचनार्थ।
8. क्षेत्रीय महासचिव, गुरुग्राम संभाग, सभी मान्यता प्राप्त सेवा संघ।
9. निजी सहायक, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गुरुग्राम संभाग- वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
10. कार्यालय आदेश संचिका।

उपायुक्त